# उदयपुर : जंगल की आग में घिरे मध्य प्रदेश के पर्यटक की अस्पताल में मौत

## बताया गया है कि पर्यटक माखन सिंह सोमवार रात अकेले ही पहाड़ी पर घूमने गया था

- हादसे के बाद पर्यटक माखन सिंह ने 100 नंबर पर कॉल कर मदद मांगी, सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची तो मौके पर युवक बेहोशी की हालत में मिला

**उदयपुर,** (कासं)। शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित बड़ी झील पर बाहुबली हिल क्षेत्र में भीषण जंगल की आग में फंसे पर्यटक को सोमवार रात को रेस्क्यू किया गया था। मंगलवार सुबह उसकी एमबी अस्पताल में मौत हो गई। मृतक की पहचान मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के रहने वाले माखन सिंह (33) के रूप में हुई है। बाहुबली हिल क्षेत्र का 3 हेक्टेयर घना जंगल अग से जलकर राख हो गया है।

बताया गया कि माखन सिंह सोमवार रात अकेले ही पहाडी पर घूमने चला गया। जंगल में आग में फंस गया। माखन सिंह ने 100 नंबर पर कॉल कर मदद मांगी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। रेस्क्यू कर्मियों के अनुसार युवक धुएं के बीच झाड़ियों में बेहोशी की हालत में मिला। उसे तुरंत उदयपुर के एमबी अस्पताल लाया गया, जहां मंगलवार सुबह करीब सात बजे उसकी मौत हो गई। माखन सिंह रतलाम जिले की जावरा तहसील के ऊपरवाडा गांव का रहने वाला था।

गांव के सरपंच कमलेश पाटीदार ने बताया कि माखन घर से घूमने के लिए ही बोलकर निकला था। वह हार्वेस्टर शोरूम में मैनेजर था। उसके तीन बच्चे हैं।

एमबी अस्पताल के अधीक्षक डॉ. आर.एल. सुमन ने बताया कि प्रारंभिक रूप से मौत का कारण आग के धुएं से दम घुटना माना जा रहा है, हालांकि वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। फायर ब्रिगेड अधिकारी बी.एल. चौधरी ने बताया कि आग बहुत तेजी से फैल गई थी जिसके कारण पूरी पहाडी काले धुएं से ढ क गई थी।

दमकल की टीमों ने देर रात तक कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि एहतियात के तौर पर रातभर फायर ब्रिगेड की टीमें जंगल क्षेत्र के आसपास तैनात रही।

जानकारी के अनुसार बाहुबली हिल्स बड़ी लेक के पास स्थित जंगल एरिया है। इस पहाड़ी पर टूरिस्ट ट्रैकिंग के लिए आते हैं। बीते कुछ समय में ये पूरा एरिया प्री वेडिंग फोटो शूट के लिए भी पॉपुलर हुआ है। फॉरेस्ट अधिकारियों के अनुसार यहां के जंगल में कई दुर्लभ वनस्पति भी मिलती हैं। आग के कारण इन्हें भी नुकसान पहुंचा है।

उल्लेखनीय है कि इस सीजन में पहाड़ियों पर अब तक करीब पांच जगह आग लगी है। 15 दिन पहले नीमचमाता स्थित पहाड़ी पर आग लगी थी। सप्ताहभर पहले ऋषभदेव की पहाड़ी पर आग लगी थी। तीन दिन पहले चित्रकूट नगर और दो दिन पहले बड़ी गांव स्थित पांडवा की पहाड़ी पर आग लगी थी।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी बाबूलाल चौधरी ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि वर्तमान में कई स्थानों पर आगजनी की घटना घटित हो रही है ऐसी आपात स्थिति में बिना संसाधन के आग में प्रवेश नहीं करें। आग लगने की सूचना तुरंत शहर प्रशासन, नजदीकी पुलिस स्टेशन, पर देवें जिससे आग को काबू में किया जा सके। आग जलने से वातावरण में चारों तरफ दम घुट गैस कार्बन डाइ ऑक्साइड बनती है, जिससे व्यक्ति बेहोश हो जाता है एवं जानमाल की नुकसान होने की संभावना रहती है।

# जोधपुर में दिनदहाड़े फायरिंग, युवक घायल

**जोधपुर,** (कासं)। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में दिनदहाड़े फायरिंग की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड थाना इलाके में शताब्दी सर्कल के पास बदमाशों ने एक युवक पर गोलियां चला दी। वारदात में युवक के कंधे में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए एम्स अस्पताल ले जाया गया है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घायल युवक की पहचान रामड़ावास निवासी अनिल साहू के रूप में हुई है, जो किसी ग्रुप से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि घटना के समय अनिल साहू के साथ उसका भाई मुन्ना उर्फ देवसा भी मौजूद था। हमलावर कौन थे और उन्होंने दिनदहाड़े इस वारदात को किस वजह से अंजाम दिया, इसका फिलहाल कोई खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि, पुलिस को आशंका है कि आपसी रंजिश के चलते ही यह घटनाक्रम हुआ हो सकता है। इसी आशंका के आधार पर पुलिस एक संदिग्ध स्कॉर्पियो की तलाश में जुटी है। दिनदहाड़े हुई इस फायरिंग से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। वारदात की सूचना मिलते ही कुड़ी थानाधिकारी तेजकरण अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे शहर में सख्त नाकाबंदी करवा दी है। हमलावरों को पकड़ने के लिए कुड़ी के अलावा विवेक विहार, लूणी, झंवर और बोरानाडा थाना इलाकों में भी सभी एसएचओ अपनी-अपनी टीमों के साथ अलर्ट मोड पर हैं। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाकर बदमाशों की तलाश कर रही है।

## बाइक चोरी

**सादुलपुर,** (निसं)। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित बोर्ड परीक्षा संग्रहण केंद्र के बाहर से एक शिक्षक की बाइक चोरी होने का मामला सामने आया है। इस संबंध में थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि गांव रामपुरा निवासी मुकेश कुमार ने बताया कि वह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक है।ौ मार्च को बोर्ड परीक्षा के चलते वे सुबह अपनी बाइक स्कूल के मुख्य द्वार के बाहर खड़ी कर अंदर परीक्षक कक्ष में बोर्ड की कॉपियों की जांच करने चले गए। शाम करीब चार बजे जब वह घर जाने के लिए बाहर आए तो उनकी बाइक मौके से गायब मिली।


राजस्थान सरकार

**कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, प्रिंस विजय सिंह मेमोरियल (पी.बी.एम.)**

सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग, बीकानेर

क्रमांक-ए.जी.एच./लेखा (क्रय)/2026/7224 दिनांक-26.02.2026

**ई-बोली आमंत्रण सूचना (E-NIB No. 26/2025-26)**

प्रिंस विजय सिंह मेमोरियल (पी.बी.एम.) सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग, बीकानेर के रक्तकोष विभाग में काम आने वाले टेस्ट किट्स रिजेन्ट्स व कन्ज्यूमेबल के क्रय हेतु आमंत्रित निविदा (दोहरी बिड पद्धति) में इच्छुक बोलीदाता दिनांक 7.3.2026 से 16.3.2026 सायं 05.00 बजे तक निविदा डाउनलोड/अपलोड कर सकते है। बोली आमंत्रण सूचना की महत्वपूर्ण शर्ते व पूर्ण विवरण "http://eproc.rajasthan.gov.in" तथा http://sppp.rajasthan.gov.in" पर देखी जा सकती है। ई-बोली की अनुमानित लागत 100 लाख है।

UBN NO. MCB2526GLRC00334

चिकित्सा अधीक्षक
प्रिंस विजय सिंह मेमोरियल (पी.बी.एच.)
सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग, बीकानेर

DIPR/C/4833/2026



**कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता जन. स्वा. अभि. विभाग वृत्त बांसवाडा**

सिन्टेक्स मिल के पास, दाहोद रोड-327001

दूरभाष- 02962-294907, ई-मेल-secircle.ban.phed@rajasthan.gov.in

**निविदा सूचना संख्या 27/2025-26**

जन स्वा.अभि. विभाग, वृत्त बांसवाडा के अधीन विभिन्न पेयजल योजनाओं क कार्य हेतु आफलाईन बिडस इच्छुक पात्र बिडर्स निविदा संख्या 27/2025-26 दिनांक 28.02.2026 सायं 06 बजे से 13.03.2026 सायं 06 बजे तक आमंत्रित की जाती है। बिडस से सम्बन्धित समस्त जानकारी www.sppp.raj.nic.in, https:/eproc.rajasthan.gov.in पर एवं कार्यालय में देखी जा सकती है।

NIB CODE- PHE2526A7016
NIT NO. 27/2025-26
UBN NO. PHE2526WSRC15133

(जालेन्द्र कुमार चारण)
अधीक्षण अभियंता
जन स्वा.अभि.विभाग
वृत बॉसवाडा

DIPR/C/4852/2026


# ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर महिला ने आत्महत्या की

## पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया

**सादुलपुर,** (निसं)। राजगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में एक महिला को अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर पैसों की मांग करने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने पर महिला की ओर से आत्महत्या करने का मामला सामने आया है।पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का मामला दर्ज किया है।

थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि पीड़िता के पति ने मामला दर्ज करवाकर बताया कि उसकी पत्नी ने 28 नवंबर 2025 को विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की थी। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों और परिवार से मिली जानकारी के आधार पर अब मामला दर्ज कराया गया है। दर्ज मामले में बताया कि करीब एक वर्ष पहले उसकी पत्नी बीमार होने पर एक प्राईवेट अस्पताल में भर्ती हुई थी। उसी दौरान अस्पताल में कार्यरत आरोपी संदीप उसकी पत्नी को दवाई देता था, जिससे दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। आरोप है कि संदीप कुमार ने बाद में उसकी पत्नी से शारीरिक संबंध बनाकर उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद संदीप कुमार के साथ रोहताश और वीरेंद्र भी इस मामले में शामिल हो गए। तीनों आरोपियों ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसकी पत्नी से पैसों की मांग शुरू कर दी। आरोप है कि पिछले करीब छह महीने से तीनों उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे।

दर्ज मामले में बताया कि उसकी पत्नी ने दुकान की आमदनी से नगद व खाते के माध्यम से आरोपियों को पैसे दिए। यहां तक कि उसने अपने सोने के गहने बेचकर भी करीब 7 से 8 लाख रुपये आरोपियों को दे दिए, लेकिन इसके बाद भी वे लगातार और पैसों की मांग करते रहे। इससे उसकी पत्नी मानसिक रूप से परेशान रहने लगी थी। बताया गया कि 28 नवंबर 2025 को आरोपियों ने फोन कर दो दिन में दो लाख रुपये देने की मांग की और नहीं देने पर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। इसी से भयभीत होकर उसकी पत्नी ने घर में जहरीला पदार्थ खा लिया। परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए, जहां उसकी पत्नी की मौत हो गई। दर्ज मामले में बताया कि जांच के दौरान मोबाइल की जांच करने पर यह जानकारी मिलने पर परिजनों ने पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। राजगढ़ थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

## अनियंत्रित ट्रेलर खाई में गिरा

**उदयपुर,** (कासं)। मंगलवार को उदयपुर-पिंडवाड़ा नेशनल हाइवे-27 पर पत्थर के पाउडर से भरा ट्रेलर 60 फीट गहरी खाई में गिर गया। घटना स्थल से गुजर रहे लोगों में अफरा-तफरी मच गई। कुछ लोग खाई के अंदर उतरे। केबिन में ट्रेलर ड्राइवर और खलासी को फंसा देखकर पुलिस को बुलाया। इसके बाद पुलिस टीम ने बड़ी मशक्कत से दोनों को बाहर निकालकर हॉस्पिटल पहुंचाया।

जानकारी के अनुसार पत्थर के पाउडर से भरा ट्रेलर सुबह करीब दस बजे उदयपुर से पिंडवाड़ा की तरफ जा रहा था। रास्ते में अनियंत्रित होकर खोखरिया नाल सुरंग के पास गहरी खाई में गिर गया। मौके से गुजर रहे वाहन और ग्रामीण एकत्रित हो गए। बेकरिया थानाधिकारी उत्तम सिंह और हाइवे पेट्रोलिंग टीम के भगवत सिंह झाला मौके पर पहुंचे। टीम ने खाई में उतरकर केबिन में फंसे ड्राइवर और खलासी को बाहर निकाला। दोनों घायल झालावाड जिले के भवानीमंडी निवासी आत्माराम पुत्र प्रभुलाल और राजेश पुत्र भागचंद को एंबुलेंस के जरिए गोगुंदा हॉस्पिटल ले जाया गया।

# नौकरी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म

**नोखा,** (निसं)। थाने में एक महिला ने नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म करने, अश्लील फोटो-वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया है। इस संबंध में नोखा थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है।

पीड़िता ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वह पिछले दो साल से एक निजी अस्पताल में काम करती थी। इस दौरान दवाइयों के प्रचार-प्रसार का काम करने वाला एक युवक अक्सर अस्पताल में आता-जाता था। उसने पहचान बढ़ाई और उसे बीकानेर के किसी बड़े अस्पताल में अच्छी सैलरी पर नौकरी दिलाने का झांसा दिया। उसने पीड़िता के शैक्षणिक दस्तावेज और अन्य कागजात भी ले लिए। पीड़िता ने बताया कि 17 नवंबर 2025 को आरोपी उसे अपने साथ बीकानेर ले गया। वहां एक होटल में इंटरव्यू होने का बहाना बनाकर उसे नशीला पेय पदार्थ पिला दिया। बेहोशी की हालत का फायदा उठाकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और मोबाइल से अश्लील फोटो-वीडियो भी बना लिए। आरोपी ने इन फोटो-वीडियो को वायरल करने और जान से मारने की धमकी देकर उसे कई बार अपने साथ बीकानेर ले जाकर दुष्कर्म किया।

रिपोर्ट में बताया कि 12 जनवरी 2026 को आरोपी उसे फिर नशीला पदार्थ पिलाकर जयपुर ले गया। वहां उसने धमकी देकर कुछ कागजातों पर जबरन साइन भी करवा लिए और खुद को उसका पति बताने लगा। इसके बाद वह उसे अपने घर ले गया, जहां उसे एक बंद कमरे में रखकर मारपीट, गाली-गलौच करता और जबरन शारीरिक संबंध बनाता था। पीड़िता ने बताया कि 7 मार्च को वह किसी तरह युवक के घर से निकलकर अपने पिता के घर पहुंची। उसने अपने पिता और भाई को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद नोखा थाने में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर विधि सम्मत धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।


**कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता**
**जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,**
**जिला ग्रामीण खण्ड प्रथम, जयपुर**

क्रमांक-6754-6773 दिनांक-27.02.2026

**निविदा सूचना संख्या- 176-187/2025-26**

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से विभिन्न कार्यो हेतु नियमानुसार उपर्युक्त श्रेणी में इस विभाग में ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है।
निविदा फार्म ऑनलाईन वेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in से दिनांक 12.03.2026 तक को सायं 6.00 बजे तक डाउनलोड/अपलोड किए जा सकते है। वेबसाईट पर तकनीकी बिड दिनांक 13.03.2026 को इस कार्यालय में प्रात 11.00 बजे खोली जाएगी राजस्थान सरकार वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(5)वित्त/सावि लेनि/2018 दिनांक 27.04.2020 के अनुसार ईप्रोक्योरमेंट पोर्टल पर ई निविदाओं के प्रेषण के लिए एक ही चालान से बोली दस्तावेज मूल्य (Tender Fee) बिड सिक्योरिटी (EMD) एवं RISL फीस को ऑनलाईन ई-ग्रास सिस्टम के माध्यम से जमा करवाना आवश्यक है।
निविदा शुल्क/धरोहर राशि/प्रक्रिया शुल्क एवं निविदा से संबंधित अन्य समस्त विवरण वेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in/ www.dipronline.org पर देखे जा सकते है।
NIT no. 176 - UBN - PHE2526WSRC15092, NIT no. 177 - UBN - PHE2526WSRC15094,
NIT no. 177 - UBN - PHE2526WSRC15095, NIT no. 178 - UBN - PHE2526WSRC15096,
NIT no. 179 - UBN - PHE2526WSRC15099, NIT no. 180 - UBN - PHE2526WSRC150100,
NIT no. 181 - UBN - PHE2526WSRC150101, NIT no. 182 - UBN - PHE2526WSRC150102,
NIT no. 183 - UBN - PHE2526WSRC150103, NIT no. 184 - UBN - PHE2526WSRC150106,
NIT no. 185 - UBN - PHE2526WSRC150107, NIT no. 186 - UBN - PHE2526WSRC150108,
NIT no. 187 - UBN - PHE2526WSRC150109

अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
जिला ग्रामीण खण्ड प्रथम, जयपुर
टेलीफोन नं. 0141-2221802

DIPR/C/4801/2026


# खेत में अज्ञात युवक का शव मिला

- युवक की मौत गर्मी और प्यास से होने की संभावना जताई जा रही है

**सादुलपुर,** (निसं)। सिद्धमुख थाने के गांव चैनपुरा छोटा की रोही में सोमवार को एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। धर्मवीर लाठर के खेत में पड़े शव को लेकर घटना की जानकारी ग्रामीणों को उस समय मिली, जब खेतों में लोग चने की फसल की कटाई कर रहे थे। शव मिलने के बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।

सिद्धमुख थानाधिकारी इमरान खान ने बताया कि शव को राजकीय उप जिला अस्पताल राजगढ़ की मोर्चरी में रखवाया गया है। प्रारंभिक जांच में युवक के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं संभवत: युवक की मौत गर्मी और प्यास से होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन मौत के कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। हांलाकि मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। सिद्धमुख थाना पुलिस ने आसपास के गांवों में मृतक की पहचान के प्रयास शुरू कर दिए हैं। वहीं मृतक के बारे में सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से भी जानकारी साझा की जा रही है ताकि मृतक की शिनाख्त हो सके। इस घटना ने स्थानीय लोगों को हैरानी में डाल दिया है। पुलिस इस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है ताकि मौत के असली कारणों का पता लगाया जा सके।

थानाधिकारी इमरान खान ने बताया कि मृतक का कद 5.7 फीट, बदन दुबला पतला, रंग सांवला, उम्र करीबन 40-45 वर्ष, सिर पर हल्के बाल है, हल्की काली व सफेद दाढी मुंछे, सफेद रंग की शर्ट, स्लेटी रंग की इनर व काले रंग की पैंट पहने हुए हैं, नंगे पैरों से है।

## युवक ने आत्महत्या की

**निवाई,** (निसं)। शिवाजी कॉलोनी की गली नंबर 14 में एक 17 वर्षीय युवक ने पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर पुलिस के एएसआई कमलेश गूर्जर व भारती मीणा मय जाब्ता के साथ मौके पर पहुंचे और युवक को फंदे से उतारकर राजकीय उप जिला चिकित्सालय लेकर पहुंची, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया।

एएसआई कमलेश गुर्जर ने बताया कि सोमवार की शाम करीब 7:30 बजे दीपक वर्मा पुत्र कान्हा रैगर निवासी गली नंबर 14 वार्ड नंबर 32 शिवाजी कॉलोनी ने फंदे से झूलकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। जानकारी के अनुसार मृतक अपने बुजुर्ग दिव्यांग चाचा के साथ रहता था। उसकी मां मजदूरी कर जीवन-यापन करती है। करीब तीन वर्ष पूर्व मृतक के पिता ने भी आत्महत्या कर ली थी।क

# विवाहिता की मौत, आरोपी पति दहेज हत्या में गिरफ्तार

## विवाहिता की गत महिने संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी

**जोधपुर,** (कासं)। शहर के भदवासिया स्थित 80 फीट रोड पर रहने वाली एक विवाहिता की गत महिने संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। पीहर पक्ष ने दहेज हत्या में केस दर्ज कराया था। प्रकरण में पुलिस ने अब आरोपी पति को गिरफ्तार किया है, जिसे कोर्ट में पेश किया गया।

थानाधिकारी मोहम्मद शफीक खान ने बताया कि जयमल नगर, 80 फीट रोड भदवासिया निवासी कमल किशोर जोशी ने गत 26 फरवरी को रिपोर्ट दी थी। इसमें उसने बताया कि उसकी पुत्री 30 वर्षीय तर्पिता की शादी वर्ष 2022 अप्रेल में विद्यानगर, आरटीओ के पास बीजेएस निवासी धर्मेंद्र के साथ हिंदू रीति-रिवाज के साथ की गई थी। शादी के समय 20 तोला सोना और एक किलो चांदी के आइटम के साथ घरेलू सामान दिया गया था, मगर ससुराल पक्ष के लोग जिनमें सास सुमन देवी, जेठ महेंद्र, जेठानी नीतू, काकी ससुर लक्ष्मणराम एवं खुद पति धर्मेंद्र उसे दहेज कम लाने की बात को लेकर प्रताड़ित करते थे। चार साल शादी के बीच में दो तीन बार उसकी बेटी तर्पिता को कम दहेज के लिए मारपीट कर घर बदर भी कर दिया गया। बाद में समाज के लोगों द्वारा समझाइश कर उसे ससुराल भिजवाया गया। बेटा जन्म के बाद उसे दहेज मे कार की मांग रखी गई थी। कार नहीं दिलाए जाने पर उसे घर से निकाल दिया गया। बाद में उसकी बेटी तर्पिता को किराए के मकान में रखा गया जहां पर पति धर्मेंद्र उससे मारपीट करता और दहेज के प्रताड़ित करता था। इस साल 24 जनवरी को उसकी बेटी तर्पिता ने एक बेटी को जन्म दिया था।

मामले में जांच कर रहे एसीपी मंडोर अनिल शर्मा ने बताया कि इस मामले में जांच के बाद मृतका के पति आरटीओ के पीछे विद्या नगर पावटा, सी रोड निवासी धर्मेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। ससुराल पक्ष के अन्य लोगों के संबंध में जांच जारी है।


राजस्थान सरकार

**कार्यालय आबकारी आयुक्त, उदयपुर**

क्रमांक-F.32(B)((After Policy-2026-27)EX/L/2026-06481-9018219/748

दिनांक-10.03.2026

**मदिरा दुकानों के कलस्टर (समूह) के अनुज्ञापत्र हेतु ई-निविदा आमंत्रण सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार की आज्ञा क्रमांक प.4(1)वित्त/आब/2026 दिनांक 27 जनवरी 2026 के द्वारा जारी आबकारी एवं मद्य-संयम नीति वर्ष 2025-29 में संशोधन के प्रावधानानुसार नवीनीकरण से शेष रहे मदिरा दुकानों के कलस्टर (समूह) की ऑनलाईन ई-नीलामी के लिये विभागीय वेबसाईट https://iems.rajasthan.gov.in पर निम्नानुसार ई-बोली आमंत्रित की जाती है-

| क्र.सं. | नीलामी की दिनांक | नीलामी का समय |
|---|---|---|
| 1 | 16.03.2026 | प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक |

1. ई-नीलामी में भाग लेने के इच्छुक बोलीदाता द्वारा विभागीय वेबसाइट https://iems.rajasthan.gov.in से अपने SSO ID के माध्यम से लॉगइन करते हुए विभागीय ई-ऑक्शन पोर्टल में निर्धारित प्रक्रियानुसार एक बारीय पंजीकरण करने उपरान्त ऑनलाइन नीलामी में भाग लिया जा सकेगा। इच्छुक बोलीदाता को ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व सर्व प्रथम राजस्थान सरकार के पोर्टल https://SSO.rajasthan.gov.in पर "Citizen" केटेगरी के अन्तर्गत SSO ID बनाना होगा।
2. नीलमी एक कार्य दिवस में न्यूनतम पांच घण्टे की होगी एवं उसके पश्चात जब तक बोली लगती रहे तब तक 10 मिनट के अनन्त विस्तार (indefinite extension) तक जारी रहेगी।
3. बोलीदता को कम से कम रू. 10,000/- अथवा रू. 10,000 के गुणांक में बढाकर बोली लगानी होगी।
4. बोलीदाता एक बार में रिजर्व प्राइस/पिछली बोली से 10 प्रतिशत से अधिक राशि बढाकर बोली नहीं लगा सकेगा।
5. कलस्टर का जिलेवार एवं उनके आवेदन शुल्क, न्यूनतम रिजर्व प्राईस एवं अमानत राशि का विवरण विभागीय वेबसाईट https://iems.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध रहेगा।
6. ऑनलाईन नीलामी में SSO ID के माध्यम से भाग लेने हेतु इच्छुक आवेदक द्वारा कलस्टर का चयन कर आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि यथासंभव नीलामी की तिथि से एक दिवस पहले रात 11.59 तक https://iems.rajasthan.gov.in वेबसाईट पर बोलीदाता के ऑनलाईन भुगतान द्वारा इस वेबसाईट पर जमा हो जानी चाहिये। ऐसा करने से बोलीदाता विभिन्न प्रकार की तकनीकी समस्याओं से बच सकेंगे। ऑनलाईन भुगतान नहीं होने या अन्यथा तकनीकी कारणों से निर्धरित राशियां जमा नहीं होने के कारण बोली में भाग नहीं ले पाने के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
7. प्रत्येक कलस्टर के लिये ऑनलाईन निलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित न्यूनतम रिर्जव प्राईस की 2 प्रतिशत राशि अमानत राशि के रूप में आवेदन के साथ जमा करायी जानी है। बिड राशि के अनुसार अतिरिक्त अमानत राशि (Dynamic Earnest Money) भी जमा करानी होगी।
8. सफल बोलीदाता को धरोहर राशि अग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि एवं वार्षिक लाईसेन्स फीस ई-नीलामी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्तो, जो विभागी वेबसाईट पर उपलब्ध है के अनुसार जमा करानी होगी।
9. निर्धारित समय में वांछित राशियॉ यथा-धरोहर राशि अग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि एवं वार्षिक लाईसेंस फीस जमा न कराने पर स्वीकृति निरस्त कर समस्त जमा राशि जप्तराज की जायेगी।
10. वर्ष 2026-27 के पात्र अनुज्ञाधारियों को वर्ष क्रमश 2027-28 व 2028-29 के लिये निर्धारित शर्तो पर अनुज्ञा पत्र नीवीनीकरण का अवसर दिया जायेगा।
11. बोलीदाता को ई-नीलामी में भाग लेने से पूव विभागीय वेबसाईट https://iems.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2025-29 एवं नीति में संशोधन दिनांक 27.01.2026 तथा समस्त दिशा-निर्देश प्रक्रिया एवं शर्तो का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया जाना चाहिये।
12. मदिरा कलस्टर के बन्दोबस्त हेतु वे ही व्यक्ति ई-नीलामी में भाग ले सकेंगे जो राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 एवं इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों आबकारी एवं मध्यसंयम नीति वर्ष 2025-29 व संशोधन दिनांक 27.01.2026 तथा भारतीय संविदा अधिनियम के तहत अनुबन्ध करने की योग्यता रखते हो। इस सम्बन्ध मं विस्तृत दिशा निर्देश https://iems.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। अन्य जानकारी हेतु संबंधित अतिरिक्त आयुक्त जोन जिला आबकारी अधिकारी एवं जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
13. ई-नीलामी के संबंध में अन्य सभी प्रावधान आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2025-29 व नीति में संशोधन दिनांक 27.01.2026 तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 एवं इसके अन्तर्गत बने नियम के अनुार रहेंगे।

आबकारी आयुक्त, राज.

DIPR/C/5187/2026


# 8500 लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाला अन्तर्राज्यीय ठग बिहार से गिरफ्तार

## आरोपी इतना शतिर था कि फर्जी आधार कार्ड से नाम बदलकर वारदात को अंजाम देता था

- आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस महानिरीक्षक कोटा रेंज द्वारा 50 हजार के इनाम राशि घोषित की गई थी
- आरोपी ने कोटा ही नहीं, बल्कि यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ में भी अलग-अलग तरीकों से ठगी की वारदातों को अंजाम दिया था

**कोटा,** (निसं)। अनंतपुरा थाना क्षेत्र में 8500 से अधिक लोगों से करोड़ों की ठगी के मामले का पर्दाफाश करते हुए पुलिस टीम ने ठगी के मास्टरमाइंड आरोपी कुमार शानू को बिहार से गिरफ्तार किया है। आरोपी इतना शतिर था कि फर्जी आधार कार्ड से अपना नाम बदलकर ठगी की वारदात को अंजाम देता था।

शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि 15 नवम्बर 2025 को पीड़ित कुलदीप शर्मा व अन्य ने अनंतपुरा थाने में शिकायत दी थी। शिकायत में कहा कि दीपक सिंह नाम के एक व्यक्ति ने अनंतपुरा क्षेत्र में ओएसि एन्टरप्राइजेज कंपनी खोलकर 8500 लोगों को घर बैठे रोजगार देने के नाम पर ठगी करते हुए 2500 रूपये सुरक्षा राशि के नाम से जमा की और करीब दो करोड़ रूपये की राशि हड़पकर रातों-रात दफ्तर को बंद कर फरार हो गया। शहर एसपी ने बताया कि मामले को गंभरीता से लेते हुए शहर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी के निर्देशन में एसआईटी टीम का गठन किया। मामले की जांच पुलिस उप अधीक्षक मनीष शर्मा के सुपरविजन में अनंतपुरा थानाधिकारी रमेश कविया के नेतृत्व में की गई। शहर एसपी ने बताया कि ठगी के आरोपी ने ठगी के दौरान पहचान छिपाने के लिये फर्जी आधार कार्ड का प्रयोग किया था, जिससे उसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिये चुनौती बन गई थी। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस महानिरीक्षक कोटा रेंज द्वारा 50 हजार के इनाम राशि घोषित की गई। गठित टीम ने आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर संभावित स्थानों पर दबिश भी दी।

शहर एसपी ने बताया कि आरोपी तक पहुंचने में टीम के सदस्य कांस्टेबल फरसाराम की अहम भूमिका रही। कांस्टेबल ने डिजिटल फुटप्रिंस और तकनीकी डेटा का गहन विशलेषण करते हुए ठगी के आरोपी की पहचान बिहार के खगड़िया निवासी कुमार शानू के रूप में की। मामले में अनुसंधान के दौरान सामने आया कि आरोपी ने कोटा ही नही बल्कि यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ में भी अलग-अलग तरीकों से ठगी की वारदातों को अंजाम दिया है। शहर एसपी ने बताया कि कांस्टेबल फरसाराम द्वारा दिये गये तकनीकी इनपुट के आधार पर अनंतपुरा थानाधिकारी रमेश कविया के नेतृत्व में पुलिस टीम को बिहार रवाना किया गया और टीम ने कई दिनों तक अपनी पहचान छिपाकर आरोपी की निगरानी की एवं डिजिटल सर्विलांस के जरिये पुख्ता हुआ कि ठगी का मास्टरमाइंड कुमार शानू एक होटल में छिपा हुआ है, इस पर टीम ने होटल में दबिश देकर आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने आरोपी के पास से 1,88,500 रूपये नकद, ठगी मे प्रयुक्त कार सहित कई फर्जी आधार कार्ड, ई-श्रमकार्ड बरामद किये। आरोपी को ट्रांजिट रिमांड लेकर कोटा लाया गया। पकड़े गये आरोपी से अनुसंधान जारी हैं।

शहर एसपी तेजस्वनी गौतम ने बताया कि आरोपी कुमार शानू शातिर और पेशेवर ठग है। अनंतपुरा क्षेत्र के सुभाष नगर में ओएसि एन्टरप्राइजेज नाम से फर्जी कंपनी खोली और अखबारों में घर बैठे रोजगार के लुभावने विज्ञापन देकर बेरोजगार युवाओं व महिलाओं को निशाना बनाता था, आरोपी फर्जी आधार कार्ड पर अपनी पहचान जाहिर करता था। आरोपी ने पुस्तकें तैयार करने का काम देने के बदले 2500 रूपये सुरक्षा राशि के नाम पर जमा करवाता, आरोपी ने ठगी की वारदात को जल्दी करने के लिये चैन मार्केटिंग का सहारा लिया और नये सदस्य जोड़ने पर 500 रूपये कमीशन का लालच दिया। आरोपी ने कुछ ही महीनों में करीब 8500 युवा व महिलाओं से करीब दो करोड़ की राशि हड़प ली और रातों-रात दफ्तर बंद कर फरार हो गया। शहर एसपी ने बताया कि पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने पू